

बिजली तारों से गिरी चिंगारी से खेत में भड़की आग, 1 बीघा गेहूं जला

ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की मदद से बड़ा नुकसान टला



नवभारत न्यूज
रतलाम। सैलाना क्षेत्र में सोमवार दोपहर बिजली के तारों से निकली चिंगारी के कारण खेत में अचानक आग लग गई। आग की लपटों ने कुछ ही देर में करीब 1 बीघा क्षेत्र में खड़ी गेहूं की फसल को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे फसल जलकर राख हो गई। घटना सैलाना-पिपलीदा रोड स्थित सगस बाबाजी मंदिर के पास कांग्रेस नेता जगदीश कुमावत के खेत की बताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार खेत के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट होने से चिंगारी गिरी, जिससे तैयार खड़ी

की फायर लॉरी मौके पर पहुंची। फायर कर्मियों और ग्रामीणों ने मिलकर कड़ी मशकत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान कई ग्रामीण आग बुझाने के प्रयास में जुटे रहे।

बताया जा रहा है कि इन दिनों खेतों में गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है और कई स्थानों पर कटाई का काम भी शुरू हो गया है। फसल के सूखे होने के कारण आग तेजी से फैल रही थी। यदि समय रहते आग पर काबू नहीं पाया जाता तो आसपास के करीब 50 बीघा क्षेत्र में खड़ी गेहूं की फसल भी जलकर राख हो सकती थी। इस घटना में किसान को लगभग 30 से 40 हजार रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। समय रहते ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड की तत्परता से बड़े नुकसान को टाल दिया गया।

खेतों के ऊपर रहे विद्युत लाइनें...

बताया जा रहा है कि खेत के ऊपर से बिजली के तार गुजर रहे हैं। खेत से गुजर रहे बिजली के तारों में दोपहर को शॉर्ट सर्किट हुआ और चिंगारी निकली, जिससे फसल में आग लग गई। दोपहर में गर्मी होने से व अचानक चिंगारी खेत में गेहूं की फसल पकड़ सुखी होने से आग लग गई। उल्लेखनीय है कि इन दिनों खेतों में गेहूं पक गेहूं है। कटाई का काम भी चल रहा है। गेहूं की फसल पूरी तरह सुखी होने से आग की लपटें तेज होकर खेत में बढ़ती रही। जिससे 1 बीघा क्षेत्र में लगी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। समय पर आग पर काबू पाने से यहां करीब 50 बीघा में गेहूं की खड़ी फसल बच गई।



विशेष शिविर में पुलिस ने 56 शिकायतों का किया निराकरण

पुलिस का सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण के लिए दो दिवसीय विशेष शिविर

निर्देशित किया गया कि शिविर के दौरान आने वाले आवेदकों की शिकायतों को गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ सुनकर उनका संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। दिनांक 13 एवं 14 मार्च 2026 को आयोजित इस विशेष शिविर के दौरान जिले के विभिन्न थानों में पहुंचे शिकायतकर्ताओं की समस्याओं को सुनते हुए कुल 56 आवेदकों की शिकायतों का मौके पर ही संतुष्टिपूर्वक निराकरण किया गया। वहीं अन्य प्राप्त शिकायतों के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। रतलाम पुलिस द्वारा इस प्रकार के शिविरों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का त्वरित समाधान, पुलिस-जन संवाद को सुदृढ़ करने एवं प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

नवभारत न्यूज
रतलाम। आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से रतलाम पुलिस द्वारा जिले के सभी थाना एवं चौकी स्तर पर सीएम हेल्पलाइन शिकायत निराकरण हेतु दो दिवसीय विशेष शिविर आयोजित किए गए। पुलिस अधीक्षक रतलाम अमित कुमार के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक कुमार लाल के मार्गदर्शन में अनुविभागीय पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में जिले के समस्त थाना एवं चौकी स्तर पर यह शिविर आयोजित किया गया। एस्पों ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को

एक नजर में

दो पक्षों में घरेलू हिंसा को लेकर मारपीट, पुलिस ने दोनों पक्ष के 11 लोगों पर किया प्रकरण दर्ज

रतलाम। माणक चौक थाना क्षेत्र अंतर्गत घरेलू विवाद के चलते दो पक्षों में मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। सांस ने बहु बेटे सहित सात लोगों पर तो बहु ने सांस, ससुर सहित चार लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामले को जांच में लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रविवार को एक पक्ष की फरियादी सांस जमुना बाई 57 वर्षीय निवासी करमदी रोड ने बेटे आशीष पिता गोविन्द कुमावत, बहु सीमा पति आशीष कुमावत, अरमान निवासी कस्तुरबा नगर, अंजु निवासी कस्तुरबा नगर, विशाल पिता विजय सक्सेना नि.कस्तुरबा नगर, सोनिया, आशु के खिलाफ शिकायत की है। वहीं, दूसरे पक्ष की बहु सीमा पति आशीष कुमावत 24 वर्षीय निवासी करमदी रोड ने भी ससुर गोविन्द कुमावत पिता लक्ष्मण कुमावत, सांस जमुना बाई, निर्मला पति धीरज कोठारी, धीरज पिता पारस कोठारी नि. शुभ विहार कालोनी के खिलाफ शिकायत की। पुलिस ने दोनों पक्षों के ग्यारह लोगों के विरुद्ध अश्लील गालियां, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

राजस्व अधिकारियों ने रसोई गैस एजेंसियों के वितरण केन्द्रों का किया निरीक्षण



रतलाम। जिले में उपभोक्ताओं को घरेलू गैस सिलेंडर की निर्बाध आपूर्ति के लिए कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार जिले में राजस्व अधिकारियों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में गैस एजेंसियों के वितरण केन्द्रों का निरीक्षण किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा घरेलू गैस आपूर्ति व्यवस्था की निगरानी के तहत आज 16 मार्च को शिवगढ़ गैस गोदाम का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान गैस स्टॉक, रिफॉर्ड एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की गई। ताल तहसील अंतर्गत कालूखेड़ा गैस गोदाम की जांच की गई। अधिकारियों द्वारा गैस सिलेंडरों के रखरखाव एवं वितरण व्यवस्था का जायजा लिया गया।

पश्चिम रेलवे के गैर-किराया राजस्व में रतलाम मंडल का उल्लेखनीय योगदान, 12 करोड़ का लक्ष्य हासिल

रतलाम। पश्चिम रेलवे ने गैर-किराया राजस्व (एनएफआर) के क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 12 करोड़ के वार्षिक लक्ष्य को रतलाम मंडल द्वारा सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया है, जो मंडल की सुदृढ़ कार्यप्रणाली एवं नवाचारी सोच को दर्शाता है। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार के अनुसार, इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में मुंबई स्थित चर्चगेट मुख्यालय में आयोजित विशेष समारोह में प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक द्वारा रतलाम मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती हीना वी. केवलरामानी सहित वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की यह उपलब्धि मंडल रेल प्रबंधक अश्वनी कुमार के कुशल मार्गदर्शन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्रीमती हीना वी. केवलरामानी के कुशल नेतृत्व के साथ ही वाणिज्य विभाग के अन्य अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सतत समर्पण का ही प्रतिफल है कि रतलाम मंडल ने गैर-किराया राजस्व के क्षेत्र में समय से पूर्व अपने लक्ष्य से अधिक का राजस्व प्राप्त किया है।

दिल्ली में हुई तरुण खटीक की हत्या के विरोध में जावरा में दिया ज्ञापन



जावरा। दिल्ली में तरुण खटीक की हत्या के संबंध में दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने को लेकर क्षत्रिय खटीक समाज कल्याण समिति ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नई दिल्ली के उत्तम नगर क्षेत्र में होली के दिन एक दुखद एवं चिंताजनक घटना सामने आई। एक छोटी बच्ची द्वारा खेल-खेल में फेंके गए रंग के गुब्बारे के छींटे मुस्लिम समाज की एक महिला पर लग जाने से विवाद उत्पन्न हो गया। इसके बाद स्थिति ने गंभीर रूप ले लिया और समाज के युवक तरुण खटीक की निर्मम हत्या कर दी गई, जो अत्यंत निन्दनीय एवं अमानवीय कृत्य है। घटना से पूरे देश में खटीक समाज, सर्व हिन्दू समाज व नागरिकों में आक्रोश है। पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता 2 करोड़ रुपये एवं सुरक्षा प्रदान की जाए। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करारक दोषियों को शीघ्र कड़ी से कड़ी सजा (फांसी) दी जाए। भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी एवं कठोर कदम उठाए जाएं। क्षत्रिय खटीक समाज कल्याण समिति, अध्यक्ष भगवतीलाल नेका, सचिव मगनलाल कायस्थ, कोषाध्यक्ष त्रिलोक चावला, केलारा कायस्थ, राहुल नेका, भेरूलाल नेका, रामबाबू कायस्थ, रीतेश चन्देल, गोरी शंकर दायमा, आनंद नेका आदि उपस्थित थे।

एकादशी संकीर्तन के साथ फागोत्सव मनाया, भजनों पर झूमी महिलाएं

नवभारत न्यूज
रतलाम। एकादशी संकीर्तन के अंतर्गत होली पर्व के उपलक्ष्य में शहर के गीता मंदिर में रविवार, 15 मार्च को फाग उत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन गीता मंदिर महिला मंडल, रतलाम द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में प्रसिद्ध भजन गायक पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा अपने मधुर स्वर में फाग और भक्ति गीतों की प्रस्तुति दी।



हाथों में गुलाल लिए, आंखों में इंतजार है। सांवरे की एक झलक को, मन बेकरार है। रंग जाऊं मैं तेरे रंग में, कुछ इस तरह प्रभु, कि लिए न उतरे वो रंग ऐसा तेरा प्यार है जैसे भजनों की प्रस्तुति

दी गई। जिस पर महिलाओं ने जमकर आनंद लेते हुए नृत्य किया कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक गीता मंदिर परिसर में आयोजित हुआ। फाग उत्सव के इस आयोजन में भगवान श्रीकृष्ण और राधा के फाग एवं होली से जुड़े पारंपरिक भजनों की प्रस्तुति दी गयी, जिससे श्रद्धालु भक्ति और उत्सव के रंग में सराबोर हुए। गीता मंदिर महिला मंडल च श्रद्धालुओं बड़ी संख्या में मौजूद रहे। ट्रस्ट समिति के संजय व्यास ने आभार व्यक्त किया।

चेक बाउंस में एलआईसी एजेंट को एक वर्ष का कारावास, 1.11 लाख का जुर्माना

रतलाम। चेक बाउंस के एक मामले में न्यायालय ने एलआईसी एजेंट सतीश कुमार चौरडिया को एक वर्ष के कारावास तथा 1 लाख 11 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। यह फैसला न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी रतलाम के न्यायालय द्वारा सुनाया गया। जानकारी के अनुसार आरोपी सतीश कुमार चौरडिया ने वर्ष 2019 में मोहम्मद अशफाक, पिता मोहम्मद याकूब, निवासी जावरा रोड, रतलाम से 70 हजार रुपए उधार लिए थे। उधारी की राशि चुकाने के लिए आरोपी द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, रतलाम शाखा का 70 हजार रुपए का चेक

दिया गया था। परिवारी द्वारा उक्त चेक बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर आरोपी के खाते में पर्याप्त राशि नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवारी द्वारा विधि अनुसार नोटिस भेजा गया, लेकिन आरोपी द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

मामले में परिवारी की ओर से अधिवक्ता हेमंत चौरडिया ने न्यायालय में परिवार प्रस्तुत किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी सतीश चौरडिया को दोषी मानते हुए 13 मार्च 2026 को एक वर्ष के कारावास और 1,11,000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। उक्त जानकारी अधिवक्ता हेमंत चौरडिया ने दी।

सामाजिक-वैवाहिक कार्यक्रम के लिए उपलब्ध कराएं रसोई गैस

रतलाम। धार्मिक, सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए व्यावसायिक गैस सिलेण्डर गैस एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराये जाने हेतु महापौर प्रहलाद पटेल ने जिला कलेक्टर मिशा सिंह को पत्र लिखा है। लिखे गए पत्र में महापौर प्रहलाद पटेल ने पत्र में मांग करते हुए उल्लेखित किया है कि व्यावसायिक गैस सिलेण्डर को लेकर असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। इससे धार्मिक, सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों हेतु नागरिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आमजन परेशान होने के साथ कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं, कार्यक्रम प्रभावित ना हो इस हेतु गैस एजेंसी को व्यावसायिक गैस सिलेण्डर नागरिकों को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया जाये।

व्यापारी संघ द्वारा कृषि मंडी में प्याऊ का किया शुभारंभ



गुमानसिंह भयडिया ने कहा कि व्यापार संघ को इस परमार्थ के कार्य के लिए बधाई। कार्यक्रम के दौरान किसानों एवं आमजन को ठंडा पानी पिलाकर सेवा कार्य की शुरुआत की गई। कार्यक्रम का संचालन संघ के सचिव पंकज सियार ने किया एवं आभार उपाध्यक्ष नवदीप मेहता ने व्यक्त किया। इस अवसर पर व्यापारी संघ के पदाधिकारी प्रदीप पितलिया, कोषाध्यक्ष आकाश चंडालिया, दीपक करसरा, झमकलाल सियार, राजेश गैलाड, नंदलाल पाटीदार, जगेंद्र गोखर, प्रियेश बाफना, कांतशर्मा सहित व्यापारी मंडी कर्मचारी जीवलाल निनामा, अभय लालवानी, जितेंद्र डाबी तुलावटी हम्माल, किसान उपस्थित रहे।

एक नजर में जनप्रतिनिधि और सरकारें बदलीं, नहीं बदली किसानों की किस्मत

खोड़ाना तालाब डूब में गई भूमि के मुआवजे की प्रतीक्षा में पथरा गई किसानों की आंखें



नवभारत न्यूज
जावरा। मंदसौर और रतलाम जिले की सीमा पर बनें खोड़ाना तालाब के डूब में गई जमीन के मुआवजे का क्षेत्र के किसानों को वर्षों से इंतजार है। इतनी लंबी प्रतीक्षा करते-करते अब तो प्रभावित कृषकों की आंखें पथरा गई हैं। लेकिन शासन स्तर पर उनकी भूमि के मुआवजे को लेकर ठोस नीति नहीं बन पाई। इस मामले में सरकारी स्तर पर अब तक जो भी प्रयास हुए वह नाकाफी ही रहे।

प्रभावित किसान सालों से मुआवजा राशि की आस लगाए बैठे हैं। परंतु हर बार राजनीतिक उलटफेर होने से उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता गया। यह भी सोलह आने सच है कि प्रदेश में सरकारें बदलती रही, क्षेत्र में जनप्रतिनिधि बदलते रहे, मगर प्रभावित किसानों की किस्मत नहीं बदल पाई। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर हर साल अक्टूबर-नवंबर माह में उरक लबालब भरे जलाशय का पानी आसपास के किसान बहा देते हैं। ताकि वे एक फसल बो सकें। बता दें कि अगर प्रभावित कृषक वर्षाकाल में एकत्रित इसका पानी

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि पिपलीदा क्षेत्र जल अभावग्रस्त घोषित हो चुका है। वहीं खोड़ाना तालाब पिपलीदा विकासखंड के रणायरा, रिछ देवडा गांवों की सीमा में स्थित है। जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के बीच इस डेम का पानी व्यर्थ बहा दिया जाना चिंता का विषय है। दो जिले की सीमाओं के बीच स्थित खोड़ाना तालाब ने मुआवजे को लेकर प्रभावित किसानों को मझाधार में छोड़ दिया है। पीड़ित अखंडताओं की सुनवाई ना तो रतलाम प्रशासन द्वारा की जाती है और ना ही मंदसौर प्रशासन उनकी समस्या को समझने को तत्पर नजर आता है। ऐसी दशा में किसान लोग जाएं तो जाएं कहां।

बहाकर इसे खाली नहीं करें तो आसपास के बीस से ज्यादा ग्रामों के कुओं व नलकूपों का जलस्तर बना रह सकता है। किसानों के अनुसार लगभग 110 साल पहले बनाए गए इस तालाब में डेढ़ सौ से अधिक यहां के कृषकों की जमीन उपयोग में ली गई। बताते हैं कि उरक डेम करीबन 1200 बीघा जमीन पर फैला हुआ है।

विधानसभा में उठाऊंगा मामला: विधानसभा क्षेत्र मंदसौर विधायक विपिन जैन ने बताया कि क्षेत्र जावरा के विधायक डॉ. राजेंद्र पाण्डेय ने बताया कि तात्कालिक समय में मेरे द्वारा इसे लिए हम प्रयास कर रहे हैं। इस सम्बंध में विधानसभा में भी प्रश्न लगाने का मन बना रखा है। मुआवजा देना प्रदेश सरकार पर निर्भर है। किसानों को मुआवजा कब तक मिलेगा, यह ग्यारंटी के साथ नहीं कह सकते। लेकिन इस मामले में हमारे प्रयास जारी हैं। प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति दिलवाई: विधानसभा